



२९६।।

दूरभाष- 2288709
2288710

नव भैतला केन्द्र, 10 अयोध्या नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रक : २१९६ /०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में

दिनांक : २५ अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/आम्बेदकर
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-अमरोहा।

पितृय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय:

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

| घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में) | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएससी कोड | घनराशि |
| आईडीबीआई बैंक | 1002104000087878 | IFSC Code IBKL0001002 | ₹ 63.856 |

| क्र सं | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | वर्ती/पाड़ का नाम | द्वितीय किरत की घनराशि का प्रेषण |
|--------|-------------|-------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 1 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगर निकाय हसनपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती लालबाग नगर में इण्टरलाकिंग टायल्स रोड व यूटाइप नाली निर्माण कार्य भाग-१ | 10.911 |
| 2 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगर निकाय हसनपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती लालबाग नगर में इण्टरलाकिंग टायल्स रोड व यूटाइप नाली निर्माण कार्य भाग-२ | 6.940 |
| 3 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगर निकाय हसनपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती कोट पश्चिम में टायल्स रोड व यूटाइप नाली निर्माण कार्य भाग-३ | 3.651 |
| 4 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगरीय क्षेत्र हसनपुर की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती मौ० काढी हाउस की समस्त गलियों में इण्टरलाकिंग टायल्स रोड/यूटाइप नाली निर्माण। | 7.829 |
| 5 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगरीय क्षेत्र हसनपुर की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती रहरा रोड वार्ड-४ की समस्त गलियों में इण्टरलाकिंग टायल्स रोड/यूटाइप नाली निर्माण। | 6.691 |
| 6 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न०पा०४० हसनपुर | नगर निकाय हसनपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्ती मौ० मुवारकपुर में टायल्स रोड/यूटाइप नाली निर्माण कार्य। | 14.128 |
| 7 | अमरोहा | अल्पसंख्यक-३७ बजट | न० निकाय अमरोहा | महवूद नगर भाग-०३ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 13.705 |
| | योग | | | | ₹ 63.855 |

उपरोक्त अवमुक्त घनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- १— उ०प्र० सरकार के हारा जारी शासनादेशों के अनुलेप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरंभ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में साम्बन्धित प्रावस्ती में रखा जाये।



२९६/२

दृष्टान्त— 2286709

2286710

नव चेतावनी केन्द्र, 10 अरोड़ा मार्ग, लखनऊ—220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- २— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना रामबन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकआप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य राजकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में रामिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- ७— परिस्मप्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें रामबन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिस्मप्तियों के सूजन के पूर्य ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- ८— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अपरोप धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अपरोप धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ९— उक्त धनराशि दूढ़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्तों के अनुसार निहित नद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- १०— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्तों के अनुपालन का प्रयान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- ११— अवमुक्त यीं जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैशावृति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के रामबन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- १२— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगजन के सापेक्ष द्वितीय फिरसा की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर रोक धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष गोतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक
W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
२. अपर निदेशक, सूडा।।।
३. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
४. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक
W